

अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड

कठूमर (अलवर) राज.

मिसल नं. 2/190/2020

तारीख रजू

उनवान बीरबती बनाम जमदीश बगैरा


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

30.09.2020

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायल ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतःअप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नं0 2024, 1323, 1505/2423, 1550, 1298, 1300, 1322, 1324, 1362/2413, 1363/2415, 1548, 1549/2435, 2091/2451, 1107, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2223, 2224, 2225, 2227, 2228, 2229, 2231, 2232, 2233, 2289, 2290, 2291, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 1337, 1338, 1339, वाके ग्राम बंगनकानगला तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात मे रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 12.11.2020 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 12.11.2020 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।



उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

बीरबती में प्रार्थना पत्र नहीं चलाता करती है।

10.11.2020

वकील जमदीश उपस्थित। ज्ञां पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील जमदीश ने मूल वाद के साथ पेश किया। वकील जमदीश ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील जमदीश को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति जमदीश के पक्ष में बखूबी सावित है।

Fari
10.11.2020


उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)